

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/ 1386-2

दिनांक/9-05-2023

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की जिला कार्ययोजना (DHAP Guideline) संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों के संचालनार्थ भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि ₹0 48572.13 लाख के सापेक्ष ₹0 27026.44 लाख का आवंटन जनपदों में एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों हेतु संलग्न फॉट के अनुसार किया गया है। इस वर्ष जनपद स्तर पर आवंटित धनराशि मदवार उपलब्ध करायी जा रही है अतः सम्बन्धित मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जा सकेगी। आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है:-

FMR Code HSS(U).1.127 – Development and Operationalisation of Health and Wellness Centers Urban – भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत HSS(U).1.127 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 2095.91 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

1. **HSS(U).1.127.ASHA.1 (Asha Incentive for Additional range of Services)**-- इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु ₹0 1000/- प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 10625 अरबन आशाओं हेतु 09 माह के लिये संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

इस धनराशि का पत्र संख्या- SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10/01/2022 के द्वारा नगरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के टीम बेस्ड इंसेंटिव हेतु प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

2. **HSS(U).1.127.ASHA.2 (Incentive to Asha for CBAC)**-- इस मद में NCD screening के लिये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 10625 अरबन आशाओं हेतु C-BAC form हेतु ₹0 10/- प्रति C-BAC form for 740 Forms per Urban ASHA की दर से प्रोत्साहन राशि 09 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या- SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14/10/2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
3. **HSS(U).1.127.OOC.2 (IT Support)**-- 710 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु 01 वर्ष हेतु ₹0 10000/- प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से 09 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।
4. **HSS(U).1.127.OOC.3 (Mobile Recharge)**-- इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु ₹0 200/- प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 10625 अरबन आशाओं हेतु 09 माह के लिये संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि

का उपयोग पत्र संख्या- SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14/10/2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

5. **HSS(U).1.127.CB.1.A (Training of MO under CPHC)**-- इस मद में 100 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात चिकित्साधिकारियों के NCD Module प्रशिक्षण हेतु जनपद लखनऊ को रु0 117660/- प्रति बैच की दर से 02 बैच हेतु रु0 235320.00 तथा जनपद मेरठ को 01 बैच हेतु रु0 117660/- की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2020-21/76/1577 दिनांक 9-07-2020 द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु जनपदवार चिकित्साधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है-

MO NCD Module Training 2023-24

S.No	Districts	Total MOs to be trained	Training Batch Details		Batch Cost @ Rs 117660/ Batch
			Total MO to be trained	No. of Batches and Place	
1	Meerut	2	31	01 Batch in RHFPTC Meerut	117660
2	GB Nagar	2			
3	Ghaziabad	3			
4	Hapur	3			
5	Buland Shahar	1			
6	Moradabad	1			
7	Rampur	3			
8	J P Nagar	1			
9	Sambhal	1			
10	Saharanpur	1			
11	Muzaffar Nagar	2			
12	Shamli	2			
13	Bareilly	5			
14	Shahjahanpur	1			
15	Budaun	1			
16	Pilibhit	2			
17	Prayagraj	2			
18	Agra	3			
19	Mathura	2			
20	Firozabad	2			
21	Mainpuri	1			
22	Aligarh	2			
23	Hathras	3			
24	Kasganj	2			
25	ETAH	2			
26	Fatehpur	1			
27	Pratapgarh	2			
28	Kaushambi	2			
29	Banda	1			
30	Hamirpur	1			
31	Azamgarh	1			
32	Mau	1			
33	Kushinagar	4			
34	Lucknow	2			
35	Sitapur	2			
36	Unnao	3			
37	Rai Bareli	1			
38	Hardoi	3			
39	Kheri	3			
40	Jalaun	1			

41	Ayodhya	1			
42	Gonda	1			
43	Balrampur	1			
44	Bahraich	2			
45	Sant Kabir Nagar	2			
46	Siddarth Nagar	6			
47	Kanpur Nagar	3			
48	Kanpur Dehat	1			
49	Etawah	1			
50	Kannauj	1			
51	Bhadohi	2			
52	Jaunpur	1			
		100			352980

6. **HSS(U).1.127.CB.1.B (Training of Staff Nurse under CPHC)**-- इस मद में 100 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात स्टाफ नर्स के NCD Module प्रशिक्षण हेतु रु0 94005/- प्रति बैच की दर से 07 बैच हेतु रु0 658035.00 की धनराशि संलग्न फाट के अनुसार आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है। स्टाफ नर्स प्रशिक्षण हेतु बैच का विवरण निम्नानुसार है-

S.No	Districts	Districtwise Staff Nurses to be trained	Training Batch Details		Batch Cost @ Rs 94005/ Batch
			Total Participants to be trained	Training Center	
1	Meerut	4	32	01 Batch in RHFPTC Meerut	94005
2	GB Nagar	4			
3	Ghaziabad	6			
4	Hapur	6			
5	Buland Shahar	2			
6	Saharanpur	2			
7	Muzaffar Nagar	4			
8	Shamli	4			
9	Moradabad	2	30	01 Batch in RHFPTC Moradabad	94005
10	Rampur	6			
11	J P Nagar	2			
12	Sambhal	2			
13	Bareilly	10			
14	Shahjahanpur	2			
15	Budaun	2			
16	Pilibhit	4			
17	Agra	6	34	01 Batch in RHFPTC Agra	94005
18	Mathura	4			
19	Firozabad	4			
20	Mainpuri	2			
21	Aligarh	4			
22	Hathras	6			
23	Kasganj	4			
24	ETAH	4			
25	Prayagraj	4	24	01 Batch in RHFPTC Prayagraj	94005
26	Fatehpur	2			
27	Pratapgarh	4			
28	Kaushambi	4			
29	Bhadohi	4			
30	Jaunpur	2			
31	Azamgarh	2			
32	Mau	2			

33	Kushinagar	8	24	01 Batch in RHFPTC Gorakhpur	
34	Sant Kabir Nagar	4			
35	Siddarth Nagar	12			
36	Gorakhpur				94005
36	Lucknow	4	32	01 Batch in RHFPTC Lucknow	94005
37	Sitapur	4			
38	Rai Bareilly	2			
39	Hardoi	6			
40	Kheri	6			
41	Gonda	2			
42	Balrampur	2			
43	Bahraich	4			
44	Ayodhya	2			
45	Kanpur Nagar	6			
46	Kanpur Dehat	2			
47	Etawah	2			
48	Kannauj	2	24	01 Batch in RHFPTC Kanpur	94005
49	Jalaun	2			
50	Banda	2			
51	Hamirpur	2			
52	Unnao	2			
		6			
	Total	200	200	7	658035

7. HSS(U).1.127.CB.2 (Asha Training under UPHC)-- इस मद में NCD Module प्रशिक्षण हेतु शेष आशाओं के रु0 75400/- प्रति बैच की दर से 65 बैच हेतु कुल धनराशि रु0 49.01 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है। जिन जनपदों में बैच पूर्ण न होने के कारण धनराशि का आवंटन नहीं है वहां शहरी आशा का प्रशिक्षण ग्रामीण आशाओं के साथ किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु बैच का विवरण निम्नानुसार है-

ASHA NCD Module Training 2022-23

Sr. No.	District	No. Of ASHA	No. of Batches	Batch Cost @ Rs 75400/ Batch	Remarks
1	Balrampur	33	1	75400	
2	Bijnor	16		0	To be done with Rural ASHA
3	Farrukhabad	57	2	150800	
4	Gonda	28	1	75400	
5	Hamirpur	29	1	75400	
6	Hapur	75	3	226200	
7	Amroha	36	1	75400	
8	Kannauj	65	2	150800	
9	Kanpur Nagar	484	16	1206400	
10	Kaushambi	5	0	0	To be done with Rural ASHA
11	Lucknow	549	18	1357200	
12	Moradabad	50	2	150800	
13	Prayagraj	287	10	754000	
14	Shrawasti	13	0	0	To be done with Rural ASHA
15	Sitapur	97	3	226200	
16	Sonbhadra	40	2	150800	
17	Aligarh	60	2	150800	

18	Kasgang	25	1	75400	
	Total	1864	65	4901000	

8. **HSS(U).1.127.CB.3 (MPW Training under CPHC)**-- इस मद में 100 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात ए0एन0एम0 के NCD Module प्रशिक्षण हेतु रू0 88005/- प्रति बैच की दर से 20 बैच हेतु कुल धनराशि रू0 17.60 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु बैच का विवरण निम्नानुसार है--

ANM NCD Module Training 2022-23

S.No	Districts	Districtwise ANM to be trained	Training Batch Details			Batch Cost @ Rs 88005/ Batch
			Total No. of Participants	No. of Batches and Place	No. of Batches	
1	Meerut	10	30	01 Batch in Meerut	1	88005
2	Hapur	15				
3	Buland Shahar	5				
4	GB Nagar	10	25	01 Batch in Ghaziabad	1	88005
5	Ghaziabad	15				
6	Saharanpur	5	25	01 Batch in Saharanpur	1	88005
7	Muzaffar Nagar	10				
8	Shamli	10				
9	Moradabad	5	25	01 Batch in Moradabad	1	88005
10	Rampur	15				
11	Sambhal	5				
12	J P Nagar	28	28	01 Batch in J.P.NGAR	1	88005
13	Bareilly	25	45	02 Batches in Bareilly	2	176010
14	Shahjahanpur	5				
15	Budaun	5				
16	Pilibhit	10				
17	Agra	15	40	02 Batch in Agra	2	176010
18	Mathura	10				
19	Firozabad	10				
20	Mainpuri	5				
21	Aligarh	10	45	02 Batches in Aligarh	2	176010
22	Hathras	15				
23	Kasganj	10				
24	ETAH	10				
25	Prayagraj	10	35	01 Batch in Prayagraj	1	88005
26	Fatehpur	5				
27	Pratapgarh	10				
28	Kaushambi	10				
29	Bhadohi	10	25	01 Batch in Azamgarh		
30	Jaunpur	5				

31	Azamgarh	5			1	88005
32	Mau	5				
33	Kushinagar	20				
34	Sant Kabir Nagar	10	30	01 Batch in Kushinagar	1	88005
35	Siddarth Nagar	30	30	01 Batch in Siddarth Nagar	1	88005
36	Lucknow	10			2	176010
37	Sitapur	10				
38	Rai Bareli	5	55	02 Batch in Lucknow		
39	Hardoi	15				
40	Kheri	15				
41	Gonda	5				
42	Balrampur	5				
43	Bahraich	10	25	01 Batch in Bahraich	1	88005
44	Ayodhya	5				
45	Kanpur Nagar	15				
46	Kanpur Dehat	5			2	176010
47	Etawah	5				
48	Kannauj	5				
49	Jalaun	5	60	02 Batch in RHFPTC Kanpur		
50	Banda	5				
51	Hamirpur	5				
52	Unnao	15				
	Total	523	523	20		1760100

9. **HSS(U).1.127.IEC.1 (IEC & Wellness Activities)**-- 610 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (509 पूर्व से संचालित एवं 101 नवीन स्वीकृत) के रूप में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आई0ई0सी0 एवं वेलनेस गतिविधि हेतु रू0 50,000.00 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से 09 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

FMR Code HSS(U).2.130 – ASHA- Including ASHA Certification and ASHA benefit - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत FMR HSS(U).2.130 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 2790.65 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

- HSS(U).2.130.ASHA.1 (Routine and Recurring Incentive to ASHA)**-- इस मद में आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु रू0 2000/- प्रतिमाह प्रति आशा की दर से कुल 12489 अरबन आशाओं को 09 माह हेतु धनराशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश शहरी आशा दिशा-निर्देश के अन्तर्गत पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।
- HSS(U).2.130.ASHA.2 (Health Promotion Day Incentive to ASHA)**-- इस मद में रू0 200/- प्रतिमाह प्रति आशा की दर से 12489 आशाओं हेतु 09 माह के लिये धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0न0/श0आ0-दिशा-निर्देश/52/2020-21/931-75 दिनांक 26/06/2020 के अनुसार किया जाना है।

3. **HSS(U).2.130.ASHA.3 (PMMVY Incentive to ASHAs)**-- इस मद में ₹0 100/- प्रति लाभार्थी की दर से 187335 लाभार्थी 12489 आशाओं हेतु 12 माह के लिए स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 09 माह के लिये धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग सिफ्टा द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है।
4. **HSS(U).2.130.CB.2 (Induction Training for ASHAs)**-- इस मद ₹0 में 137600/- प्रति बैच की दर से एवं ₹0 100/- प्रति माड्यूल प्रति आशा की दर से नवीन शहरी आशाओं के 05 बैच के 08 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु जनपद सहारनपुर को ₹0 703000.00 की धनराशि आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या- प0क0/08-प्रशि0/अर0आशा0/2016-17/842 दिनांक 20.05.2016 के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
5. **HSS(U).2.130.OOC (Award for ASHA for every cluster of 150 ASHA)**-- अरबन आशाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु ASHA Award के लिये धनराशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा निर्देश शहरी आशा दिशा-निर्देश के अन्तर्गत पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।
6. **HSS(U).2.130.IEC.1 (ASHA Uniform)**-- इस मद में 12489 अरबन आशाओं के यूनिकार्ड हेतु ₹0 1000/- 2 सेट यूनिकार्ड प्रति आशा हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।
7. **HSS(U).2.130.IEC.2 (UHIR and Voucher)**-- इस मद में प्रिंटिंग हेतु ₹0 325/- प्रति Urban ASHA की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें Urban ASHA register (Rs. 300/- प्रति रजिस्टर) & Urban ASHA Voucher (Rs. 25/- प्रति वाउचर) हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय इस कार्यालय के पत्र संख्या - SPMU/NUHM/IEC/2020-21/24/6709 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाना है।

FMR Code HSS(U).2.131- MAS (MAS Orientation, State Level ToT and MAS Register Printing)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत FMR HSS(U).2.131 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 21.25 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

1. **HSS(U).2.131.IEC.1 (Printing of MAS Register)**-- इस मद में MAS Register हेतु ₹0 200/- प्रति रजिस्टर प्रति महिला आरोग्य समिति की दर से 10625 महिला आरोग्य समिति हेतु धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रचलित VHSNC रजिस्टर की भांति महिला आरोग्य समिति के रजिस्टर का मुद्रण निम्न स्पेशिफिकेशन के अनुसार किया जाना है-

क्र0स0	विवरण	साईज	जी0एस0एम0	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. X 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4 पृष्ठ
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ -2 स्टेप्लड	28 से.मी. X 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	196

*रजिस्टर का प्रोटोटाईप व ready to print file पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

FMR Code HSS(U).2.134- Outreach activity (ANM Mobility, UHND, Outreach camp) - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत FMR HSS(U).2.134 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹0 627.02 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

1. **HSS(U).2.134.OOC.1 (Mobility Support to ANMs)**-- इस मद में Mobility Support for ANM हेतु रू0 500/- प्रतिमाह प्रति ANM की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का उपयोग ए0एन0एम0 द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी में व्यय किया जायेगा। ए0एन0एम0 द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर यह धनराशि ए0एन0एम0 के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।

2. **HSS(U).2.134.OOC.2 (UHND)**-- प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में 04 यू.एच.एन.डी. प्रति माह आयोजित किये जायेंगे जिसके हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार 3619 ए.एन.एम. हेतु रू0 250/- प्रति UHND की दर से कुल 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश पत्र संख्या - SPMU /NUHM /Guideline /2020-21 /47/ 2685-75 दिनांक 16.08.2021 तथा पत्र संख्या - SPMU/NUHM/OR & UHND /2021-22 /53/ 6467-75 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।

3. **HSS(U).2.134.OOC.3 (Special Outreach Camps)**--वित्तीय वर्ष 2022-23 की आर0ओपी0 मे प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में प्रत्येक त्रैमास 01 विशेष आउट रीच कैम्प (Special Outreach Camp) आयोजित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु रू0 6500/- प्रति त्रैमास प्रति Special Outreach Camp की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। प्रति त्रैमास आयोजित किये जाने वाले कैम्प हेतु अनुमोदित धनराशि निम्नानुसार व्यय की जायेगी--

क्र०सं०	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प (रू०)
1	चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक का दैनिक भत्ता(एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 को रू 1500/- तथा विशेषज्ञ हेतु रू0 3000/-)	3,000/-
2	पैरा मेडिकल स्टाफ कुल 03 हेतु प्रत्येक को रू0 500/-की दर से (आवश्यकतानुसार स्टाफ नर्स, एल0टी0, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट आदि को रखा जा सकता है)	1,500/-
3	परिवहन व्यवस्था	1,000/-
4	प्रचार-प्रसार (लाउडस्पीकर, बैनर, इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	1,000/-
कुल योग		6,500/-

स्पेशल आउटरीच कैम्प की आवृत्ति (मासिक के स्थान पर त्रैमासिक) के अतिरिक्त पत्रांक SPMU/NUHM /Guideline/2020-21/47/ 2686-75 दिनांक 16.08.2021 के माध्यम से स्पेशल आउटरीच कैम्प हेतु प्रेषित अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेगे।

FMR Code HSS (U).3.137- Urban PHC (Rent , Construction, Computer, Printer, Equipment and Furniture) - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत FMR HSS(U).3.137 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 1437.75 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

1. **HSS(U).3.137.OCC.1 (Rent of UPHCs)**-- इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के किराये हेतु रू0 25000/- प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से पूर्व में स्वीकृत 639 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 09 माह हेतु धनराशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। प्रत्येक किराये के भवन हेतु अधिकतम सीमा रू0 25000/- प्रति माह प्रति भवन की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी0एम0 सर्किल रेट या रू0

25000/- जो कम हो देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि जनपद के किसी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया एरिया क्षेत्रफल एवं डी0एम0 सर्किल रेट के अनुसार रू0 25000/- से अधिक हो तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त भवन को किराये पर लेते हुए जनपद को किराये मद में कुल आवंटित धनराशि में से प्रतिमाह बचत धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है।

FMR Code HSS (U).5.142 Remuneration of all NHM HR - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत **HSS (U).5.142** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 15879.02 लाख 09 माह हेतु जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

1. **HSS(U).5.142.C.S001 (ANM/LHV for UPHC)**-- इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 2646 ANM के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 4570.02 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से ए.एन.एम. द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (ई0पी0एफ0, लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
2. **HSS(U).5.142.C.S006 (Staff Nurses for UPHC)**-- इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 844 Staff Nurse के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 2176.27 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
3. **HSS(U).5.142.C.S011 (Staff Nurse for UCHC)**-- इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 16 Staff Nurse के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 39.97 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
4. **HSS(U).5.142.C.S016 (Lab Technician at UPHC)**-- इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 449 Lab Technician के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 887.72 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
5. **HSS(U).5.142.C.S021 (Lab Technician at UCHC)**-- इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 01 Lab Technician के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 1.46 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
6. **HSS(U).5.142.C.S026 (Pharmacist at UPHC)**-- इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 497 Pharmacist के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 1270.96 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Pharmacist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

7. **HSS(U).5.142.C.S045 (Data Assistant at UCHC)**-- जनपद लखनऊ में Other NUHM (08 Data Assistant, lko) में स्वीकृत 08 Data Assistant के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 16.76 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data Assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
8. **HSS(U).5.142.C.S046 (Nurse Mentor at UCHC)**-- इस मद में जनपद वाराणसी में स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 01 Nurse Mentor के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 2.48 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Nurse Mentor द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
9. **HSS(U).5.142.C.S051 (Gynaecologist)**-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 11 Gynae के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 97.78 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Gynae द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
10. **HSS(U).5.142.C.S057 (Paediatrician)**-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 13 Paedia के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 117.59 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Paedia द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
11. **HSS(U).5.142.C.S062 (Anaesthetist)**-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 12 Anaesthetist के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 106.22 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Anaesthetist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
12. **HSS(U).5.142.C.S068 (Surgeon)**-- इस मद जनपद वाराणसी में पूर्व से स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 02 Surgeon के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 20.78 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
13. **HSS(U).5.142.C.S074 (Radiologist)**-- इस मद जनपद लखनऊ में स्वीकृत 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Radiologist के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 59.54 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Radiologist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
14. **HSS(U).5.142.C.S080 (Other Specialist/Physician)**-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Physician के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 61.08 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Physician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

15. **HSS(U).5.142.C.S068 (Other Specialist/Surgeon)**-- इस मद जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 02 Surgeon के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 14.88 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
16. **HSS(U).5.142.C.S090 (Full Time MO at UPHC)**-- इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु पूर्व में स्वीकृत कुल 566 Full time MBBS MO के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 3375.22 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Full time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
17. **HSS(U).5.142.C.S095 (Part Time MO at UPHC)**-- : इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 64 Part time MBBS MO के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 198.00 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Part time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
- नोट- जनपद में पार्ट टाइम चिकित्सक के पद रिक्त होने पर राज्य स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही उनकी भर्ती की जाय।
18. **HSS(U).5.142.C.S100 (Full Time MO at UCHC (EMO))**-- इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 04 EMO के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 23.47 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से EMO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
19. **HSS(U).5.142.C.S106 (Other Support staff)**-- इस मद में नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 1572 Support Staff के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 2189.32 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff को निम्नानुसार मानदेय (मान्य लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए:-

For In -position staff (Joined or before 2020-2021)

Support Staff		
Particular	Employee Hired by DHS	Employee Hired by Agency
Salary	11479	10481
PF(Emp.) 12%	1377	1258
ESI(Emp.) 1.75%		183
Net Payable to Employee	10102	9040
GST 18%		2388
Service charge (upto 10%)		1048
EPF (13.36%) by Employer	1534	1400
ESI (3.25%) by Employer		341
	13013	15658

For In -position staff (Joined or before 2022-2023)

Support Staff	
Particular	Employee Hired by Agency

Salary	10230
PF(Emp.) 12%	1228
ESI(Emp.) 1.75%	179
Net Payable to Employee	8824
GST 18%	2331
Service charge (upto 10%)	1023
EPF (13.36%) by Employer	1367
ESI (3.25%) by Employer	332
	15284

**For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled
outsource agency**

Support Staff - NUHM FY 2023-24	
Particular	Employee Hired by Agency
Salary	9743
PF(Emp.) 12%	1169
ESI(Emp.) 1.75%	171
Net Payable to Employee	8403
GST 18%	2220
Service charge (upto10%)	974
EPF (13.36%) by Employer	1302
ESI (3.25%) by Employer	317
	14556

नोट-

- उपरोक्त सर्पोट स्टॉफ का वेतन निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
 - उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
 - नवीन स्वीकृत सर्पोट स्टॉफ की भर्ती किये जाने से पूर्व राज्य स्तर पर अवगत कराया जाए एवं राज्य स्तर से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त की भर्ती की जाए।
- 20. HSS(U).5.142.C.S112 (DEO cum Accountant)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 30 DEO cum Accountant के 09 माह का मानदेय हेतु धनराशि ₹0 67.22 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से DEO cum Accountant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
- 21. HSS(U).5.142.C.P009 (Divisional Urban Health Consultants)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 17 Div Urban Health Consultant के 09 माह के मानदेय हेतु धनराशि ₹0 97.73 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Div UHC द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
- 22. HSS(U).5.142.C.P014 (District Urban Health Coordinator)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 60 Urban Health Coordinator के 09 माह के मानदेय हेतु धनराशि ₹0 261.15 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Urban Health Coordinator द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय

(लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

23. HSS(U).5.142.C.P015 (Data cum Account Assistant)-- इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 58 Data cum account assistant के 09 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 167.20 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data cum account assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

24. HSS(U).5.142.C.P016/P017/P018 (Sr. Computer Operator/Store Keeper/Support Staff)-- इस मद में 01 Computer Operator, 01 Store Keeper and 03 Support Staff (Lucknow Urban RCH Office) के 09 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 8.75 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Computer Operator, Store Keeper and Support Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (मान्य लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए:-

For In -position staff

Support Staff - NUHM FY 2023-24		
Particular	Employee Hired by DHS	Employee Hired by Agency
Salary	11479	10481
PF(Emp.) 12%	1377	1258
ESI(Emp.) 1.75%		183
Net Payable to Employee	10102	9040
GST 18%		2388
Service charge (Up to 10%)		1048
EPF (13.36%) by Employer	1534	1400
ESI (3.25%) by Employer		341
	13013	15658

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support Staff - NUHM FY 2023-24	
Particular	Employee Hired by Agency
Salary	9743
PF(Emp.) 12%	1169
ESI(Emp.) 1.75%	171
Net Payable to Employee	8403
GST 18%	2220
Service charge (Up to 10%)	974
EPF (13.36%) by Employer	1302
ESI (3.25%) by Employer	317
	14556

नोट-

- उपरोक्त सर्पोट स्टॉफ का वेतन निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

25. HSS(U).5.142.C.P028 (City Community Process Manager)-- इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 23 CCPM के 09 माह के मानदेय हेतु धनराशि ₹0 47.45 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से CCPM द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (ई0पी0एफ0, लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

***EPF (Employer's Contribution @ 13.36 % for salaries < 15000/- p.m.) -** EPF हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये ₹0 15000/- प्रतिमाह या 15000/- प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु EPF (Employer's Contribution @ 13.36%) की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। EPF के सम्बन्ध में राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये। जिन कर्मियों की वर्तमान पद पर नियुक्ति के समय मानदेय ₹0 15000/-प्रतिमाह या 15000/-प्रतिमाह से कम था, परन्तु वर्तमान में उनका मानदेय ₹0 15000/- प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना ₹0 15000/- प्रतिमाह की दर से की जायेगी।

***ESI -** भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्राविधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा ₹0 21000/- प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2023-24 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा-निर्देश लागू किया जायेगा।

FMR Code HSS (U).5.144- Incentive under CPHC (Team based Incentive for HWC, PBI for MO)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत HSS (U).5.144 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 1977.30 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

- 1. HSS(U).5.144.1 (Team Based Incentives for 710 UPHCs-HWC)--** इस मद में 710 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 1.80 लाख प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से 09 माह हेतु संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं।
- 2. HSS(U).5.144.2 (Performance Based Incentive to MOs)--** इस मद में 566 contractual full time MO के Performance Based Incentive हेतु ₹0 20000/- प्रतिमाह प्रति contractual full time MO की दर से 09 माह हेतु धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/7052 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं।

FMR Code HSS (U).6.146- Planning and Program Management (Mobility Support and Office expenses ,TA/ DA for SPMU/Div PMU/DPMU/CCPM)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत HSS (U).6.146 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 349.20 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

- 1. HSS(U).6.146.PME.1 (Mobility Support for SPMU/Div PMU)--** इस मद में Mobility Support हेतु ₹0 33000/- प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

2. **HSS(U).6.146.PME.2 (Mobility Support for DPMU)**-- इस मद में Mobility Support DPMU हेतु रू0 33000/- प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 10 UPHCs (25 DPMU), रू0 15000/- प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 3 UPHCs (33 DPMU) एवं अन्य 17 DPMU को रू0 10000/- प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

3. **HSS(U).6.146.PME.3.A (Mobility Support for CCPM)** - रू0 3000/- प्रतिमाह की दर से प्रति सी.सी.पी.एम. को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। सी.सी.पी.एम. को पूर्व की भांति अधिकतम 3000/- प्रतिमाह की सीमा में मोबिलिटी सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

*नोट - इस धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1958 दिनांक 31.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

4. **HSS(U).6.146.PME.4 (Administrative Expenses for SPMU/Div PMU)**-- इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 15000/- प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग मण्डल मुख्यालय के अतिरिक्त की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्यकतानुसार अन्य कंटेनर्जेंसी मद में किया जायेगा।

5. **HSS(U).6.146.PME.5 (Administrative Expenses for DPMU)**-- इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 20000/- प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 10 UPHCs (25 जनपद) एवं शेष जनपदों को रू0 15000/- प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार से कुल 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्यकतानुसार अन्य कंटेनर्जेंसी मद में किया जायेगा।

6. **HSS(U).6.146.PME.6 (Administrative Expenses for CPMU)**-- इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 3000/- प्रति माह प्रति CCPM- की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 09 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग CCPM & Accountant cum DEO दोनों के द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्यकतानुसार अन्य कंटेनर्जेंसी मद में किया जायेगा।

नोट - मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट/सी.सी.पी.एम./एकाउन्टेंट कम डीइओ के TA/DA हेतु धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1644 दिनांक 22.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

FMR Code HSS (U).9.149- Untied Grants (Untied grants to UPHC/UHC and MAS)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत HSS (U).9.149 के अन्तर्गत UPHC, UHC व MAS के अनटाईड फंड हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 1848.34 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

1. **HSS(U).9.149.UG.1 (Untied Fund to UPHC)**-- इस मद में 710 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 2.50 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 09 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आपरेशनल व्यय (बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि) हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति हेतु आवंटित Untied Fund में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आपरेशनल व्यय हेतु समस्त व्यय, पूर्व स्वीकृत रु0 8000/- प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्टाइड फंड से रोगी कल्याण समिति के व्यय हेतु निहित प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा।

2. **HSS(U).9.149.UG.2 (Untied Fund to UCHC)**-- इस मद में जनपद लखनऊ के 8, वाराणसी के 05 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 5.00 लाख प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 09 माह हेतु धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017-18/3875-75 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार किया जाना है।

नोट-- जनपद द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाय।

3. **HSS(U).9.149.UG.3 (Untied Fund to MAS)**-- वर्ष 2022-23 की आर0ओ0पी0 में Untied funds for 12489 MAS हेतु रु0 5000/- प्रति MAS की दर से 09 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय पत्रांक SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/2683-75 दिनांक 16-08-2021 अनुसार किया जाना है।

नोट-- जनपद द्वारा महिला आरोग्य समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2021 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित महिला आरोग्य समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक महिला आरोग्य समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।


उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय--

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

4. मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय हैं। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीया,

(अपूर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Guideline/2023-24/61/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प०क० महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा० सलिल कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक एन.यू.एच.एम

4. मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय हैं। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा। उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Guideline/2023-24/61/ 1386 - 2(10)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प०क० महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा० सलिल कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक एन.यू.एच.एम